कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

ऑपरेशन ''वाइल्ड ट्रेप–II'' के अंतर्गत 04 नग दुर्लभ प्रजाती के कछुओं सहित 01 आरोपी इन्दौर से गिरफ्तार

प्रेस विज्ञप्ती

(03/26, दिनांक 20.01.2026)

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के द्वारा वन एवं वन्यजीव व उनके रहवास की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 10.01.2026 से 10.02.2026 तक राज्यव्यापी ऑपरेशन ''वाइल्ड ट्रेप–II'' चलाया जा रहा है। ऑपरशन के तहत शीत ऋतु में वन विभाग के अमले द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में सामूहिक गश्ती की जाकर शिकार में प्रयुक्त फंदा, विद्युत करंट, खटका (Leg Hold Trap), आग्नेयास्त्र इत्यादि को जप्त करने एवं वन्यजीव का शिकार करने वाले आदतन आरोपियों/वन माफियाओं पर कार्यवाही की जाकर मुखबिर तंत्र का विकास कर निगरानी की जा रही है।

दिनांक 19.01.2026 वन्यजीव अपराध की सूचना प्राप्त होने पर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई इंदौर एवं वन परिक्षेत्र इंदौर के संयुक्त दल द्वारा कार्यवाही करते हुए इंदौर में 04 नग जीवित कछुए (Star Tortoise) जप्त किए गए।

आरोपी अर्पित पिता अशोक झालानी, निवासी स्कीम नंबर 94, इंदौर के निवास से सर्चिंग के दौरान 04 जीवित स्टार टॉरटाइस जप्त करते हुए आरोपी के विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 875/01 दिनांक 19.01.2025 दर्ज कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत करते हुए आरोपी को जेल भेजा गया।

Star Tortoise को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की प्रथम अनुसूची के भाग सी में संरक्षित किया गया है। कछुओं को अवैध रूप से रखने/पकड़ने पर सात वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष– एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल